राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
जी3/1 अम्बेडकर भवन राजमहल पैलेस के पीछे जयपुर

क्रमांकः– एफ 15 ( ) सा0सु0 /बेघर /सान्याअवि/22–23/ 79597 जयपुर, दिनांक 13/03/23

अभिरूचि की अभिव्यक्ति (Expression of Interest)

राजस्थान बेघर उत्थान एवं पुनर्वास नीति, 2022 के बिन्दु संख्या 2.2 (a)(c) में उल्लेखित परिभाषा के अनुसार बेघर व्यक्तियों का प्रथम चरण में 07 सम्भागीय जिलों (बीकानेर, जोधपुर, अजमेर, जयपुर, भरतपुर, कोटा एवं उदयपुर) के शहरी क्षेत्रों जैसे जिला मुख्यालय/नगर निगम/नगर परिषद्/नगरपालिकाओं में बेघर व्यक्तियों का **सर्वेक्षण,** इलेक्ट्रॉनिक डेटा बेस (जिसमें आधार नंबर एवं उसका बॉयोमिट्रिक सत्यापन सम्मिलित होगा) स्वयं सेवी संस्थाओं/सर्वे के लिये विशेषज्ञ संस्थाओं के सहयोग से किया जाना है। उक्त कार्य के लिए विभाग द्वारा **राशि रूपयें 100/– प्रति व्यक्ति** देय होगी।

राज्य सरकार उक्त योजना में स्वयं सेवी संस्था की महत्वपूर्ण भूमिका को दृष्टिगत रखतें हुए बेघर व्यक्तियों के कल्याण के क्षेत्र में कार्यरत/रूचि रखने वाली प्रतिष्ठित एवं आर्थिक दृष्टि से सुदृढ पंजीकृत स्वयं सेवी संस्थाओं/सर्वे के लियें विशेषज्ञ संस्थाओं के साथ "**अभिरूचि की अभिव्यक्ति**" जारी कर प्रस्ताव आमन्त्रित करतें है। इच्छुक स्वयं सेवी संस्था अपना आवेदन पत्र दिनांक 14.04.2023 तक संबंधित जिलें के जिला कार्यालय को प्रेषित कर सकेगें। उक्त प्रस्तावों का चयन निर्धारित मानदण्डों के आधार पर राजस्थान भिखारियों या निर्धन व्यक्तियों का पुनर्वास नियम, 2020 के तहत् गठित "जिला स्तरीय समिति" द्वारा किया जायेगा। प्रत्येक आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न किये जायेंगे,–

- संस्था का पंजीयन। (तीन वर्ष पुराना हो।)
- संस्था का आयकर अधि0 1961 की धारा 12 (ए) का पंजीयन क्रमांक व दिनांक।
- नीति आयोग पंजीयन क्रमांक व दिनांक
- संस्था की पिछले तीन वर्ष की Audit & Balance Sheet रिपोर्ट।
- संस्था की पिछले तीन वर्ष की वार्षिक प्रगति रिपोर्ट।
- भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा संस्था को ब्लैक लिस्टैड नहीं किये जाने सम्बंधित उद्घोषणा।
- संस्था द्वारा कियें जा रहें अलाभकारी कार्यो का विवरण।
- संस्था प्रतिष्ठित एवं सर्वे कार्य में दक्षता तथा अनुभव रखती हो।

Signature valid
Digitally signed by Hari Mohan Meena
Designation : Director
Date: 2023.03.10 18:20:05 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 3347031

Scanned with CamScanner

राजस्थान बेघर उत्थान एवं पुनर्वास नीति, 2022 के क्रियान्वयन हेतु प्रथम चरण की कार्ययोजना/आंशिक संशोधित कार्ययोजना, अतिरिक्त जानकारी के लिए संबधित जिला कार्यालय में सम्पर्क एवं विभागीय वेब साईट sje.rajasthan.gov.in पर अवलोकन किया जा सकता है।

(हरि मोहन मीना)
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

कमांकः– एफ 15 ( ) सा0सु0 /बेघर /सान्याअवि/22–23/ 795 98-608 **जयपुर, दिनांक** 13/03/23
प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1 निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राज0 जयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त अभिरूचि की अभिव्यक्ति को राज्य स्तर के दैनिक समाचार–पत्रों मे प्रकाशित करावें।
2 निजी सचिव, शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
3 निजी सचिव, निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज0 जयपुर।
4 संयुक्त निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,.........................को भेजकर लेख है कि उक्त अभिरूचि की अभिव्यक्ति (Expression of Interest) के अनुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।
5 सहायक निदेशक (प्रचार), मुख्यावास।

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

Signature valid
Digitally signed by Hari Mohan Meena
Designation : Director
Date: 2023.03.10 18:20:05 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 3347031

Scanned with CamScanner

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

राजस्थान बेघर उत्थान एवं पुनर्वास नीति, 2022 के तहत् बेघर व्यक्तियों के सर्वेक्षण के लिए प्रस्ताव हेतु आवेदन–प्रपत्र

1 स्वयंसेवी संस्था का नाम ....

2 स्वयंसेवी संस्था का पूर्ण पता(ईमेल सहित) ....
....

3 स्वयंसेवी संस्था का दूरभाष न0...

4 संस्था का पंजीयन क्रमांक व दिनांक (तीन वर्ष पुराना हो।)..
..............(पंजीयन प्रमाण–पत्र संलग्न करें)

5 संस्था का आयकर अधिनियम की धारा 1961 की धारा 12 ए के अन्तर्गत पंजीयन है/नहीं। (यदि हॉ तो प्रमाण–पत्र संलग्न करें)

6 संस्था का नीति आयोग के दर्पण पोर्टल पर पंजीयन (पंजीयन प्रमाण–पत्र संलग्न करें)।

7 गत तीन वर्षो की Audit & Balance Sheet रिपोर्ट संलग्न करें।

8 गत तीन वर्षो की वार्षिक प्रगति रिपोर्ट, जिसमें पूर्व में कियें गयें सर्वे संबंधी कार्यो का उल्लेंख हो, (प्रगति रिपोर्ट संलग्न करें)

9 भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा संस्था को ब्लैक लिस्टेड नहीं किये जाने सम्बंधित स्व–प्रमाणित उद्घोषणा पत्र संलग्न करें।

10 संस्था द्वारा कियें जा रहें अलाभकारी कार्यो का विवरण संलग्न करें।

11 संस्था सर्वे कार्य में दक्षता तथा अनुभव रखती है, के प्रमाण हेतु दस्तावेज संलग्न करें।

अध्यक्ष/सचिव

Scanned with CamScanner